न्यायालय अतिरिक्तजिलाकलक्टर, सूरतगढ़ जिलाश्रीगंगानगर

पीठासीनअधिकारी–अर्पितासोनी (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या 29/2022 दायरा दिनांक 23.02.2022

GCMS CASE NO- 2022/00029

प्रकाश उर्फ औम प्रकाश पुत्र लिच्छीराम जाति जाट साकिन भैरूपुरा उर्फ सीलवाणी तहसील सूरतगढ़ जिलाश्रीगंगानगर

(अपीलांट)

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व सूरतगढ़

(रेस्पोंडेंट)

अपीलअन्तर्गत धारा 75 भू–राजस्वअधिनियम 1956

उपस्थितः–

1. श्रीशिशपाल शर्मा, अधिवक्ताअपीलांट
2. पैरोकार राज

:: निर्णय :: दिनांकः–31.10.2023

यह अपील नायब तहसीलदार (राजस्व) सूरतगढ के प्रकरण संख्या 11/2022 अनवान सरकार बनाम प्रकाश उर्फ औमप्रकाश में पारित निर्णय दिनांक 07.02.2022 के विरूद्व इस न्यायालय में पेश की गई है। अपीलांट ने जरिये अपील निवेदन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार सूरतगढ़ ने अपीलाधीन आदेश में अपीलांट की काश्त की गई जैर अपील भूमि तहसील सूरतगढ़ के चक 14 एस.एल.डी.ए के मु.न. 78/385 के किला न. 20 ता 24 व पत्थर न. 78/386 के किला न. 1 व 10 के कुल 1.671 है0 रकबा की नाजायज काश्त की कार्यवाही करके दिनांक 07.02.2022 को अपीलांट को तलवी का आदेश दिया व इसी आदेश में गिरदावर हल्का को मौके पर खड़ी फसल को कुर्क करने का आदेश दे दिया। इसके पश्चात जैर प्रकरण रकबा के बाबत राजस्व मण्डल अजमेर में प्रस्तुत निगरानी संख्या 7107/2012 में जारी स्थगनादेश प्रभावी रहते भी अपीलांट को बिना सुने ही अपीलांट की पीठ पीछे जैर अपील आदेश पारित कर दिया जो कतई गलत एवं गैरकानूनी है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार सूरतगढ़ का निर्णय दिनांक 07.02.2022 खारिज किया जावे।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोंडेंट को जरिये नोटिस तलब किया। अपीलांट की ओर से अधिवक्ता श्री शिशपाल शर्मा हाजिर आये तथा रेस्पोंडेंट पैरोकार राज उपस्थित हुए। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख मंगवाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया।

प्रकरण में बहस उभय पक्ष सुनी गई।वकील अपीलांट ने दौराने बहस अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया कि अपीलांट का रोही भैरूपुरा उर्फ सीलवानी के खसरा न. 259 व 260 के 24.00 बीघा रकबा पर पुराना कब्जा काश्त चला आ रहा है। इस रकबा को नियमन हेतु ईगानप योजना आवंटन नियम 21 क हेतु पत्रावली भी आवंटन हेतु पेश की हुई है। जिस पर आवंटन अधिकारी सूरतगढ़ ने तहसीलदार से जांच मंगवा रखी है। इसी दौरान रोही भैरूपुरा उर्फ सीलवाणी के रकबा से चक बन्दी कायम हो गई व चकबन्दी के दौरान अपीलांट के कब्जा काश्त के रकबा से चक 14 एसएलडी ए के पत्थर न. 78/385 के किला न. 20 ता 24 का 1.215 है0 व पत्थर न. 78/386 के किला न. 1, 2, 9, 10 का 0.956 है0 रकबा व चक 15 एसएलडी के पत्थर न. 79/385 का किला न.16व 25 का 2.530 है0 व पत्थर न. 79/386 के किला न. 2 ता 9 का 2.024 है0 रकबा कायम हो गया। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट के पीठ के पीछे चक 14 एसएलडी ए के पत्थर न. 78/385 व 78/386 के 1.671 है0 रकबा पर अपीलांट को अतिक्रमी घोषित करते हुए नाजायज काश्त की कार्यवाही अमल में लाकर दिनांक 07.02.2022 को अपीलांट को तलबी का आदेश दे दिया व इसी आदेश में गिरदावर हल्का को मौके पर खडी फसल को जब्त करने का आदेश दे दिया।जबकि जैर प्रकरण रकबा के बाबत राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर में निगरानी संख्या 7107/2012/एलआर/श्रीगंगानगनर अनवान ओम प्रकाश उर्फ प्रकाश बनाम राजस्थान सरकार जैरकार है। उक्त निगरानी में जैर प्रकरण रकबा पर माननीय मण्डल का स्थगन प्रभावी है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को बिना सुने ... पूर्णतया एकतरफा तौर पर अपीलाधीन आदेश जारी कर दिया है। अपीलांट उक्त रकबा ... आवंटन करवाने का पूर्णतया हकदार है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा धारा 22 ... पूर्णतया प्राकृतिक न्याय के

Signature Not Verified
Digitally signed by Arpita Soni
Date: 2024.01.23 17:15:09 IST
Reason: SelfAttested

अतिरिक्त जिला कलक्टर
सूरतगढ़ (श्री गंगानगर)

Scanned with OKEN Scanner

सिद्वांतो के विपरीत है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जावे तथा अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश दिनांक 07.02.2022 निरस्त किया जावे।

पैरोकार राज ने अपनी बहस में कथन किया कि अपीलांट ने राजकीय भूमि पर नाजायज काश्त कर अतिक्रमण किया है। अपीलाधीन आदेश सही पारित किया गया है। अपीलांट के विरूद्व नियमानुसार कार्यवाही की जावे।

हमने अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का गंभीरता से अवलोकन मनन चिंतन किया एवं साथ ही उभय पक्ष की बहस पर मनन किया। पत्रावली के अवलोकन से पाया कि माननीय न्यायायल राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर के प्रकरण संख्या 7107/2012/एलआर/श्रीगंगानगर में जैर अपील भूमि के संबंध में स्थगन आदेश प्रभावित है, परन्तु अपीलांट द्वारा प्रकरण में दिनांक 06.10.2021 के बाद की ऑर्डरशीट प्रस्तुत नहीं की जिससे प्रकरण की वर्तमान स्थिति पता चल सके व ना ही दौराने बहस इस संबंध में कथन किया तथा ना ही सरकारी भूमि पर कब्जा बनाये रखने संबंधी किसी प्रकार के दस्तावेज पेश किये। प्रकरण आज भी माननीय मण्डल मे विचाराधीन है व स्थगन प्रभावी है तो इस न्यायालय में अपील प्रस्तुत करने का कोई औचित्य नहीं रहता है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को नोटिस जारी किया गया जो विधिवत तामील हुआ है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को बिना सुने एवं पीठ पीछे आदेश पारित किया जाना प्रतीत नहीं होता है। अतः जैर अपील भूमि के संबंध में न्यायालय हाजा द्वारा दिनांक 23.02.2022 को जारी एकतरफा स्थगन आदेश निरस्त किया जाता है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है एवं अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय यथावत रखा जाता है। निर्णय की प्रति सहित अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख वापिस लौटाया जावे। पत्रावली बाद तरतीब तकमील नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 31.10.2023 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अर्पिता सोनी)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
सूरतगढ़ (श्री गंगानगर)

अतिरिक्त जिला कलक्टर एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट सूरतगढ़ (जिला श्रीगंगानगर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Arpita Soni
Date: 2024.01.23 17:15:09 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner